राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक-एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक-17.09.2016

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान सरकार।

विषयः- मेलों व सार्वजनिक आयोजन स्थलों पर भामाशाह योजना सेवा प्रदायगी कियोस्क लगवाने बाबत्।

जैसा कि आपको विदित है कि राज्य सरकार समस्त जिलों में जन कल्याण की योजनाओं के लाभ हस्तान्तरण, महिला सशक्तिकरण तथा वित्तीय समावेशन की महती योजना भामाशाह का क्रियान्वयन कर रही है तथा ई-मित्र कियोस्क एवं बीसी इस कार्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। राजस्थान में लोक आस्था के कई मेले व आयोजन सभी जिलों में वर्षभर आयोजित किए जाते रहते हैं जहाँ पर जन सामान्य की अच्छी आवक रहती है जिनमें भामाशाह योजना के लाभार्थी भी बहुतायत में आते हैं। इन लाभार्थियों को भामाशाह योजना की जानकारी देने व यदि कोई समस्या हो तो उसका त्वरित समाधान करने के लिए इन मेलों का अच्छा लाभ उठाया जा सकता है। अतः राज्य सरकार के निर्णयानुसार इन मेलों में भामाशाह योजना सेवा प्रदायगी कियोस्क स्थापित करने हेतु आप अपने जिले का एक जिला स्तरीय कार्यबल तैयार कर उसे निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करें-

1. समस्त पंचायत समितियों में भविष्य में लगने वाले मेलों की सूची तैयार करावें।
2. इन मेलों में भामाशाह योजना सेवा प्रदायगी कियोस्क लगाने के लिए स्थानीय सेवा प्रदाता (LSP) एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जावे।
3. इन कियास्कों पर आम जन को भामाशाह योजना के माध्यम से प्रदान किए जा रहे लाभों के बारे में जानकारी दी जावे।
4. भामाशाह योजना सेवा प्रदायगी कियोस्क पर भामाशाह व आधार नामांकन, माइक्रो एटीएम के माध्यम से नकद लेन-देन, भामाशाह व आधार में अद्यतन इत्यादि सेवाएँ विशेषतः दी जावें साथ ही सभी ई-मित्र सम्बन्धित सेवाओं की भी प्रदायगी सुनिश्चित की जावे।
5. पे-पॉइन्ट स्थापित करने संबंधी आवेदन प्राप्त किए जावें।
6. PoS मशीन के क्रियान्वयन का प्रदर्शन सुनिश्चित किया जावे।

7. भामाशाह सेवा प्रदायगी कियोस्क लगाने के लिए स्थानीय सेवा प्रदाता (LSP) एजेंसियों को मेला स्थलों पर निःशुल्क स्थान, बिजली व पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

मेला स्थलों पर भामाशाह सेवा प्रदायगी कियोस्कों का समयबद्ध कार्यक्रम आने वाले दशहरा मेलों से पूर्व ही अन्तिम रूप देना सुनिश्चित करें ताकि जनमानस को शीघ्रातिशीघ्र इन मेलों में ही भामाशाह योजना से संबंधित जानकारी व समस्याओं का समाधान मिलना आरम्भ हो सके।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक–17.09.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अति. मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
4. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
6. प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
7. समस्त संभागीय आयुक्त।
8. समस्त अतिरिक्त जिला कलक्टर्स।
9. समस्त जिला रसद अधिकारी।
10. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।
11. समस्त एसीपी/प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
12. समस्त उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
13. समस्त उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी।
14. समस्त स्थानीय सेवा प्रदाता (LSP) एजेंसी।

(राजेन्द्र सिंह तंवर)
संयुक्त निदेशक, भामाशाह